<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 180/2021 **दायर दिनांकः 12/10/2021**

उनवान

1. नवल किशोर नागर आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. सुरेश कुमार नागर आयु 39 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण।
3. राधा बाई आयु 43 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण।
4. रूकमणी बाई आयु 32 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण।
5. चेतना नागर आयु 30 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जातियान धाकड़ निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण आयु 65 वर्ष पुत्र गोटूलाल जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

<u>निर्णय</u>

दिनाक : 09.12.2024

वकील मय वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल मेरमा तालाब पटवार क्षेत्र भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 का ख० न0 26 का रकबा 6.33 है० की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है व खाता संख्या 273 का ख० न0 464 का रकबा 0.84 है0 की कुल किता 1 का रकबा 0.84 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी गोदुलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता गोदुलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 [illegible] जो काबिल गौर हैं। यह कि वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा वाके ग्राम एंव माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मे हिस्सा 1/12, 1/12 बनता है व खाता संख्या 273 का ख० नं0 464 का रकबा 0.84 है० कुल किता 1 का रकबा 0.84 है० आराजी मे हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न० 1 में वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी कम 1 से किया तो प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 01.08. 2021 को प्रतिवादी कम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी कम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै० सी० सी० नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद० न० 1 में वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एंव गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 20.09.2021 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ । उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 सादिर फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

(अ) वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 के मुताबिक हिस्सा वाके ग्राम एव माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है0 मे हिस्सा 1/12, 1/12 का व खाता संख्या 273 की का ख० न० 464 का रकबा 0.84 है है0 कुल किता 1 का रकबा 0.84 है0 आराजी मे हिस्सा 1/6, 1/6 को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे व स्वामित्व की ग्राम एंव माल मेरमा तालाब पटवार क्षेत्र भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 का ख० न0 26 का रकबा 6.33 है० की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है० आराजी शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैतृक आराजी है। इसलिए उक्त आराजी में वादी क्रम 1 लगायत 5 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/12, 1/12 बनता है। इसी प्रकार खाता खाता संख्या 273 का ख० न0 464 का रकबा 0.84 है0 की कुल किता 1 का रकबा 0.84 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाता दर्ज चली आ रही है जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैतृक सम्पति है। इसलिए उक्त आराजी में वादी क्रम 1 लगायत 5 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है। चूंकि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण कोई विवाद शेष नही रहा है। इसलिए ग्राम व माल मेरमातालाब के दोनो खातों की आराजी को उक्त राजीनामे के अनुसार नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उक्त हिस्से को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जावे और राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामे अनुसार ग्राम एव माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है0 का हिस्सा 1/12, 1/12 का व खाता संख्या 273 की का ख० न० 464 का रकबा 0.84 है है0 कुल किता 1 का रकबा 0.84. है0 आराजी मे हिस्सा 1/6, 1/6 का वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को कृषक खातेदार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सों को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर राजीनामा तस्दीक किये जाने की कृपा करें। वादीगण की माता/प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नी श्रीमती जसोदा द्वारा भी पेश राजीनामा में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक [illegible] किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम एंव माल मेरमा तालाब पटवार क्षेत्र भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 का ख० न0 26 का रकबा 6.33 है० की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते

दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है व खाता संख्या 273 का ख० न0 464 का रकबा 0.84 है0 की कुल किता 1 का रकबा 0.84 है० आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज है। जो पैतृक सम्पत्ति है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र पुत्री है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण का हक निहित है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एव माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है0 में वादी कम 1 ता 5 व प्रतिवादी कम 1 को मुताबिक राजीनामा 1/12, 1/12 हिस्से का व खाता संख्या 273 की का ख० न० 464 का रकबा 0.84 है है0 कुल किता 1 का रकबा 0.84. है0 में वादी कम 1 ल 5 व प्रतिवादी कम 1 को मुताबिक राजीनामा हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू खाते में संबंधित खातेदार द्वारा बैंक का ऋण जमा कराये जाने के पश्चात उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 180/2021

उनवान

1. नवल किशोर नागर आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. सुरेश कुमार नागर आयु 39 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण।
3. राधा बाई आयु 43 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण।
4. रूकमणी बाई आयु 32 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण।
5. चेतना नागर आयु 30 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जातियान धाकड़ निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण आयु 65 वर्ष पुत्र गोटूलाल जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :—

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एव माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 274 की कुल किता 1 का रकबा 6.33 है0 में वादी क्रम 1 ता 5 व प्रतिवादी क्रम 1 को मुताबिक राजीनामा 1/12, 1/12 हिस्से का व खाता संख्या 273 की का ख० न० 464 का रकबा 0.84 है है0 कुल किता 1 का रकबा 0.84. है0 में वादी क्रम 1 ल 5 व प्रतिवादी क्रम 1 को मुताबिक राजीनामा हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 छतरी, गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 खाल का नोट खाते में यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू खाते में बैंक का रहन का ऋण जमा होने के पश्चात् उक्त अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2024 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)